(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3327—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—07—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 12/अ—3/2015—16.

.....

मो0 अनीस पुत्र स्व0 श्री हवीव अहमद
निवासी देवगंवा खुर्द नौरोजावाद तहसील
नौरोजावाद जिला उमरिया म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

ऐजाजउद्वीन पुत्र सिराजउद्वीन
निवासी देवगंवा खुर्द नौरोजवाद तहसील
नौरोजावाद जिला उमरिया म0 प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 18/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—07—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ऐजाजुददीन पिता सिराजुददीन निवासी नौरोजावाद ग्राम देवगवां खुर्द खसरा न0 11/1ख, 11/1ख रकवा 0.145, 0.265 है0 नक्शा तरमीम कराने हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 70/90 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आदेशित कर नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार कर प्रतिवेदन की मांग की। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.2.16 को नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर दिनांक 28.7.16 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत करते हुये बताया कि अनावेदक की भूमि से आवेदक की भूमि लगी हुई है जो अनावेदक द्वारा दिनांक 11.5.2011 व 19.4.12 को कयकरके कब्जा मौके पर प्राप्त किया है और तभी से आवेदक का उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। शेष आपत्तिकर्ता द्वारा अनावेदक के समर्थन में जबाव पेश किया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उसकी भूमि नेशनल हाईवे 78 से लगी हुई है जिसका उल्लेख आवेदक के वयनामे में भी बताया है। तरमीम प्रस्ताव से आवेदक पूर्णत असहमत है। आवेदक ने जो भूमि कय की उसके सर्वे न0 11/1क, रकवा 0.291 व 11/1क/1 रकवा 0.085 है0 है। उक्त वयनामें में भूमि की चतुरसीमा का उल्लेख है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा अपनी कृषि आराजी का सीमांकन कर नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक 12/अ–12/2012–13 पर कायम हुआ था उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि नक्शा के रकवे एवं चकवंदी अभिलेख में भिन्नता पाई थी, अर्थात मौके पर भूमि का रकवा एवं नक्शा मिलान नहीं होता जिसके सुधार के प्श्चात ही तरमीम किया जाना संभव होगा। अतः आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 20.12.13 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश को देखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 28.7.16 आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में विवादित भूमि को पूर्व स्वामियों द्वारा ही विकय किया गया है। सह खातेदार का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया तो नक्शे में सुधार

किये बिना तरमीम का आवेदन पत्र दिनांक 28.7.16 को स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है जोब निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे, तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.7.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा पूर्व भूमिस्वामी बुधराम एवं दयाराम वर्मन द्वारा खसरा न0 1/ख रकवा 0.145 है0 एवं मुन्नीबाई पति मटरू बमर्न से खसरा न0 11/2ख रकवा 0.265 है0 कय कर कय दिनांक से काबिज है। अनावेदक द्वारा रजिस्ट्री चौहदी प्रमाण–पत्र/विकय पर्ची प्रदान किये जाने के पश्चात रजिस्टर्ड विकय पत्र मेरे द्वारा उप पंजीयक उमरिया के समक्ष निष्पादित कराया गया। भूमि स्वामी बुधराम एवं दयाराम एवं मुन्नी बाई जिनकी भूमि व कब्जा देखकर व आजू–बाजू के समस्त बटांक स्वामियों से पूछताछ कर अनावेदक द्वारा भूमि कय की गई थी उस दौरान आवेदक अनीश मोहम्मद को कोई आपत्ति नहीं हुई तथा अन्य बटांक स्वामियों के पूर्ण सहमति के पश्चात ही विकय पत्र निष्पादित कराया गया था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.7.16 को नक्शा तरमीम किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित एवं सही होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में सलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि की रजिस्ट्री पूर्व की होना लेख किया है। तथा उक्त भूमि के पूर्व में प्रस्तुत नक्शा तरमीम का आवेदन प्रकरण कमांक 12/अ–12/2012–13 आदेश दिनांक 20.12.13 द्वारा निराकृत होना बताया है। लेकिन रकवा में अंतर होने के कारण खारिज किया गया है । आवेदक की राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर आपत्तिकर्ता की भूमि के पूर्व भूमि स्वामियों/विकेताओं का कथन लेख है। कथन में आपत्तिकर्ता की भूमि सड़क से नहीं लगी होना कथन दर्ज है। आपत्तिकर्ता की प्रस्तुत आपत्ति प्रमाणित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम का प्रस्ताव तहसीलदार नौरोजाबाद जिला उमरिया द्वारा स्वीकृत किया गया है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नौरोजाबाद जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 12/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर